

चिन्हित वन स्वरूप न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित 765 केवी0 डबल सर्किट उरई से अलीगढ़ पार्ट-4 पैकेज टी0ई0-04 पारेषण प्रणाली के निर्माण हेतु संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के लिए प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली 0.6595 है0 संरक्षित वन भूमि चिन्हित " वन स्वरूप क्षेत्रों " की भूमि के अंतर्गत नहीं आती है।



(एस0डी0 त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
अलीगढ़।
Divisional Director
Social Forestry Division
Aligarh

